न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 99/2023

वादीगणः—

1. अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु
2. हनुमान राम पुत्र चन्द्रभानु
   जातियान सीरवी निवासीगण भावी तहसील बिलाडा
3. महेन्द्र पुत्र फाउलाल
4. सुरेन्द्र पुत्र फाउलाल
5. कमला देवी पुत्री फाउलाल जातियान सीरवी निवासीगण उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

निर्णय

दिनांकः— 05/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी(एस.बी.) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर आयी हुयी है। यह भूमि वादी सं. 1 से 2 के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम की खातेदारी की थी। वाद पत्र के पैरा 2 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार वादीगण में 1 से 2 के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम थे, उनके दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि खातेदारी की थी। खातेदार रामाराम पुत्र कुम्भाराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का राजस्व रेकर्ड में उनके पांच पुत्र भूराराम, पूनाराम, गजाराम, चन्द्रभानु, लिखमाराम के नाम से स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल के स्थान पर उनके देहान्त के बाद चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल के स्थान पर उनके दो पुत्र अशोक, हडमान तथा पत्नी लाबूडी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया तत्पश्चात चन्द्रभानु उर्फ मिश्रीलाल के देहान्त हो जाने के बाद उसकी खातेदारी भूमि का दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि के 1/15 वां हिस्सा में उनके दो पुत्र अशोक कुमार, हनुमान तथा उसकी मृतक पुत्री दुर्गा देवी के वारिशान महेन्द्र, सुरेन्द्र , कमलादेवी का हक व हिस्सा है। वादी सं. 1 व 2 के पिता को घर में लाड प्यार से मिश्रीलाल पुकारते थे और वादी सं. 1 व 2 के पिता चन्द्रभानु का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम चन्द्रभानु लिखा हुआ है। जब वादी सं. 1 से 2 के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम का देहान्त हुआ तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटिवश उनका फौतेदगी नामान्तरकरण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में वादी सं. 1 व 2 के पिता चन्द्रभानु के बजाय मिश्रीलाल दर्ज कर दिया, जबकि चन्द्रभानु व मिश्रीलाल एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भावी(एस.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर में दर्ज 1/15 वां हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदार अशोक पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु तथा 1/15 वां हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदार हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावें। ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर में 1/15 वां हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज श्रीमति लाबूडी पत्नी मिश्रीलाल के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/45 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/45 वां हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/135 वां हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/135 वां हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/135 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर आई हुई है। जो वादीगण 1 से 2 के दादा रामाराम पुत्र कुम्भाराम के नाम खातेदारी थी। वादीगण 1 से 2 के पिता का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में विरासत नामा. सं. 1259 भरे जाने पर मिश्रीलाल दर्ज हुआ। वादीगण 1 से 5 का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में विरासत नामा. मिसरीलाल , लाबूडी व दुर्गादेवी के फौत होने पर दर्ज हुआ। वादीगण द्वारा सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु होना बताया। पद सं. 5 से 7 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 8 से 10 का जवाब कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी एस.बी. की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर दर्ज 1/15 हिस्सा अशोक पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोककुमार पुत्र चन्द्रभानु तथा हनुमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की खातेदारी घोषणा तथा एवं ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068हैक्टयर में 1/15 हिस्से में दर्ज श्रीमति लाबूडी पत्नी मिश्रीलाल के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/45, वादी सं. 2 का 1/45, वादी सं. 3 का 1/135, वादी सं. 4 का 1/135 वादी सं. 5 का 1/135वें हिस्से का संयुक्त खातेदारी घोषणा किये जाने की रिपोर्ट पेश है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खसरा नंबर 1752 , प्रदर्श 2 आधारकार्ड अशोक कुमार, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र दुर्गा देवी पत्नी भंवरलाल, प्रदर्श 4 आधार कार्ड महेन्द्र पुत्र भंवरलाल, प्रदर्श 5 पहचान पत्र दुर्गादेवी पत्नी भंवरलाल के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु, प्रदर्श 2 आधार कार्ड हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र लाबूदेवी पत्नी चन्द्रभानु, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण के नाम अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल व हडमान पुत्र मिश्रीलाल के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल व हडमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र चन्द्रभानु व हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी एस.बी. की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर दर्ज 1/15 हिस्सा अशोक पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोककुमार पुत्र चन्द्रभानु तथा हनुमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु तथा खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068हैक्टयर में 1/15 हिस्से में दर्ज श्रीमति लाबूडी पत्नी मिश्रीलाल के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/45, वादी सं. 2 का 1/45, वादी सं. 3 का 1/135, वादी सं. 4 का 1/135 वादी सं. 5 का 1/135वें हिस्से का संयुक्त खातेदारी की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण | **बनाम** | **प्रतिवादी**
अशोक कुमार | | सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 99/2023 **दिनांक :–** 05/11/24

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी एस.बी. की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068 हैक्टयर दर्ज 1/15 हिस्सा अशोक पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर अशोककुमार पुत्र चन्द्रभानु तथा हनुमान पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र चन्द्रभानु तथा खसरा नंबर 1752 रकबा 0.6068हैक्टयर में 1/15 हिस्से में दर्ज श्रीमति लाबूडी पत्नी मिश्रीलाल के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/45, वादी सं. 2 का 1/45, वादी सं. 3 का 1/135, वादी सं. 4 का 1/135 वादी सं. 5 का 1/135वें हिस्से का संयुक्त खातेदारी की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालतं के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चांहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा